निर्णय वइजलास श्री रामावतार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :- 182/2018 दावा
दायरा दिनांक :-26.12.2018
निर्णय दिनांक :- 17.6.19

उनवान

1. बसन्ती बाई पत्नि राधाकिशन जाति लोधा निवासी सालरखोह तहसील छीपाबडौद जिला बारा
2. केदारीबाई पत्नि गिरधारी जाति लोधा निवासी सालरखोह तहसील छीपाबडौद जिला बारा

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :- 17.6.19

अभिभाशक उपस्थित :- 1. श्री बृजराजसिंह लोधा

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 358 रकबा 2 बीघा मौजा हरनावदाशाहजी में स्थित हैं जो वादी के खातेदारी में दर्ज हैं एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा व मेड के संबन्ध में पडौसी काश्तकारों से हमेश विवाद बना रहता है तथा पडौसी काश्तकार वादी के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोडने के लिए प्रयासरत रहते है इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहती है। दिनांक 18.12.2018 को उक्त वर्णित आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वादी ने दिनांक 18.12.2018 को उक्त आराजियात की सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद से निवेदन किया तो उन्होने सीमाज्ञान करने से मना कर दिया। वाद कारण प्रथम वार दिनांक 18.12.2018 को उक्त वर्णित आराजीयात पर पडौसी काश्तकारों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी से विवादित आराजी का सीमाज्ञान करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलव किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम हरनावदाशाहजी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 459, नकल नक्शा ट्रेस पेश किया गया। वादी का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन मेड तोडकर कब्जा करने का प्रयास करते है। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी काश्तकारों से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो सके।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

पत्रावली वादी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत मामला [illegible] ग्राम [illegible] संवत 2071-2074 खाता संख्या 499 वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज है। वादी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है जिसमें पड़ौसी काश्तकार व खातेदारों से किसी प्रकार का विवाद नहीं है। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी कराया जाना न्यायोचित है।

: क्रियात्मक आदेश :

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम [illegible] तहसील [illegible] के खसरा 358 रकबा ? बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश तहसीलदार [illegible] दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री बनाई जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

([illegible])
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 182/2018	धारा अन्तर्गत 89 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 17.6.19
समक्ष : श्री रामावतार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादीः– श्री बृजराजसिंह जोधा	अभिभाषक प्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. बसन्ती बाई पत्नि राधाकिशन जाति लोधा निवासी सालरखोह तहसील छीपाबडौद जिला बारा
2. केदारीबाई पत्नि गिरधारी जाति लोधा निवासी सालरखोह तहसील छीपाबडौद जिला बारा

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडौद के ख0नं0 358 रकबा 2 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 17.6.19 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी,
छीपाबड़ौद जिला बारां

	व्ययानुतोष		
		वादी	प्रतिवादी
क्र.सं.	व्यय मद		
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज ( )		
10.	योग		

Scanned by CamScanner